



2026:AHC:50758

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 901 वर्ष 2026

संजय कुमार जायसवाल

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, भजु राम प्रसाद
शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

कोर्ट नंबर - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"(1)- मैडेमस की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वह केस संख्या 075 वर्ष 2025 (कंप्यूटराइज्ड केस संख्या 202554053135070075) (कृष्ण गोपाल बनाम निर्मल) [यू.पी. सी.एच.अधिनियम, 1953, की धारा 12 का शीघ्रता से निपटारा करे इस प्रक्रिया में, माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी भी पक्ष को कोई भी अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश जारी किया जाता है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. ऊपर बताए गए संदर्भ को देखते हुए, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय इस वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है, ऐसा करते समय, न्यायालय याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर

WRIB सं. 885/2026

2

कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार करे, यह निर्णय एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से दिया जाना चाहिए जिसमें संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए यह प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर संपन्न होनी चाहिए।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,)

12 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।